"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2016—फाल्गुन 28, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ 4-2/2014/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह डबोवेजा, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 18 जनवरी, 2016 से 21 जनवरी, 2016 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित Commuted Leave एवं अवकाश पूर्व (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी, 2016 शनिवार एवं रविवार छुट्टी) का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक 812/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र. 3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर, दिनांक 31-05-2010 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :—

स. क्र. (1)	उपयोग का प्रकार (2)	विशेष विवरण (3)	जल-दर (4)
1.	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	अ शासकीय स्रोत :—	
		1 बांध/जलाशय/बैराॅज/एनीकट आदि से....	
		(i) विभागीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से....	रु. 10.50 प्रति घ.मी.
		(ii) संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...	रु. 5.50 प्रति घ.मी.
		2 नहर प्रणाली से	रु1 12.25 प्रति घ.मी.
		ब नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से.....	रु. 3.51 प्रति घ.मी.
2.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति)	अ शासकीय स्रोत :—	
		1. बांध/जलाशय/बैराॅज/एनीकट आदि से....	रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/ 100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस.
(क)	25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परि.	2. नहर प्रणाली से	रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस.
		ब नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से.....	रु. 0.35 (पैंतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर
(ख)	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें.	शासकीय/नैसर्गिक/स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्रोत से	रु. 0.06 (छः पैसे)

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 24-02-2016) से प्रभावशील रहेंगी.

3. औद्योगिक प्रयोजन में भू-जल उपयोग की जल-दर, नैसर्गिक स्रोत की जल-दर से 25% अधिक होगी.

4. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.

5. उपरोक्त तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्र.-3 के बिन्दु क्र.-(ii) अंतर्गत कॉलम क्र.-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 5.50 प्रति घन मीटर का लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा एवं यह जल-दर तब तक ही लागू रहेंगी जब तक संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन न हो जाये. इस प्रकार समायोजन पश्चात् संबंधित प्रकरण में तालिका के स. क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.- 1 (i) अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	लरंगा प.ह.नं. 10	1.442	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	मैनी लरंगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.